

सूर्यलीरी ESTATE



Welcome to Sukhbiri Estate

Introducing "Sukhbiri Estate" in Noida by Contour Buildcon Pvt. Ltd. (CBPL) featuring luxurious Residential Plots at the prime location of Dankaur, Sector - 17, Yamuna Expressway. Experience comfort, sophistication, and convenience with privacy. Enjoy top-notch features, high-quality facilities, stunning views, and modern living. Live your dream life in our luxury modern Plots! Sukhbiri Estate is located in one of the prime locations of Yamuna Expressway City in terms of road connectivity with close proximity to popular leisure locations! Also, your city essentials like hospitals, schools and markets are located close by.

About CBPL

Contour Buildcon Pvt. Ltd. (CBPL) is one of the top real estate developers in the NCR region. Over the years, with a team of visionary professionals, CBPL has made a significant impact in the industry by delivering some of the best real estate projects in the city - Vista Farms, Vista Plots, Mount Attalia, Raghuvanshi Farms, CBPL Homes.


The company's core principles of sustainability and wellness serve as the driving force behind its commitment to promoting eco-friendly lifestyles. At CBPL, their mission revolves around enhancing the experiences of customers who aspire to acquire and invest in the real estate sector. With an unwavering focus on client satisfaction, CBPL aims to accurately anticipate and understand the needs of their customers, delivering results that align with their expectations while ensuring timeliness and cost.

PROJECT HIGHLIGHTS



NEAR VICINITY





प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत दनकौर
गौतमबुद्धनगर

सेवा में,

- (1) अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल निवासी भी-6, रीकरी रोड, रेलवे लाईन, सुरेश पार्क, गोदीनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0
- (2) देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन निवासी ई-51, भानसरोवर पार्क, शाहदरा, ईस्ट दिल्ली-110032
- (3) नरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी ई-249, सेक्टर-अल्फा-1, प्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
- (4) पंकज गुप्ता पुत्र श्री विक्रेता गुप्ता निवासी 115, बुल्लेकस -1, स्वर्निम विहार, सेक्टर-82, नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
- (5) राजारानी गुप्ता पत्नी श्री विक्रेता गुप्ता निवासी 115, बुल्लेकस -1, स्वर्निम विहार, सेक्टर-82, नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
- (6) राजवीर सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी मोहन मन्दिर वाली गली, ग्राम सूरजपुर, परगना दादरी, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
- (7) साधना गर्ग पत्नी श्री राजकुमार गर्ग निवासी आर-1/24ए, राजनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0
- (8) साधना गुप्ता पत्नी श्री पंकज गुप्ता निवासी 115, बुल्लेकस -1, स्वर्निम विहार, सेक्टर-82, नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
- (9) सीमा गुप्ता पत्नी श्री मनीष गुप्ता निवासी सी-67, सरिता विहार, नई दिल्ली
- (10) सुधीर गर्ग पुत्र श्री नन्दकिशोर गर्ग निवासी- मौहल्ला प्रेमपुरी, कस्बा दनकौर, परगना दनकौर, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0)
- (11) सुमित्र मार्वी पुत्र श्री ओमपाल निवासी ग्राम अफजलपुर, तहसील लोनी, जिला- गाजियाबाद, उ0प्र0

पत्रांक - 93 / न0प0द0 / अनु0-03/2024

दिनांक: 08 फरवरी, 2024

आवासीय कॉलोनी अनुमोदन-पत्र (APPROVAL LETTER)

महोदय,



आपके द्वारा कार्यालय में उपरोक्त स्थित आवासीय शमन कॉलोनी के स्वीकृति आवेदन दिनांक 02/02/2024 पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन पत्रावली पर अध्यक्षा, नगर पंचायत दनकौर, गौतमबुद्धनगर द्वारा इन खेत/खसरा संख्याओं 817, 831, 832, 834 एवं 835 पर आवासीय कॉलोनी के शमन लेआउट मानवित्र स्वीकृति/अनुमोदन (APPROVAL) प्रदान कर दी गई।

-शर्त एवं प्रतिबन्ध-

1- आवासीय कॉलोनी शमन लेआउट मानवित्र की स्वीकृति मात्र एक वर्ष के लिए होगी और इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा किये जाने का प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यदि इसा न किया जाय तो अनुज्ञा पत्र को उक्त अवधि के समाप्ति के पूर्व पुनः कराया जाना अनिवार्य होगा। पुनः वैधीकरण तत्समय प्रघलित नियमों के अधीन एक बार में केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा। 2-इस अनुज्ञा पत्र के अधीन आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य आरम्भ करने पर कॉलोनी रवासी द्वारा नगर पंचायत को यह सूचना दी जायेगी कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जब नगर पंचायत किसी भी अवस्था पर यह समझे कि निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं चल रहा है या उपविधियों/नगर पंचायत के आदेशों/शासन के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, वह कॉलोनी के निर्माण/पुनः निर्माण/परिवर्तन को रोक सकती है और उल्लंघन कर किये गये निर्माण कार्य को विधि पूर्वक घस्त/अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है। 3-इस आवासीय कॉलोनी निर्माण अनुज्ञा देने के पश्चात किसी भी समय यदि नगर पंचायत को यह समाधान हो जाये कि ऐसी अनुज्ञा प्रस्तुत की गई आवेदन सूचना में निहित किसी सारांश मिथ्यानिरूपण अध्या कपटपूर्वक विवरण के परिणाम रवरूप दी गई तो नगर पंचायत ऐसी अनुज्ञा रद्द कर सकती है तथा उसके अधीन किया गया कोई भी कार्य बिना अनुज्ञा के समझा जायेगा, कॉलोनी हेतु प्रयुक्त भूमि के रवासित/प्रदोग सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञा पत्र निरस्त कर जायेगा। 4-उक्त आवासीय कॉलोनी के मानक के अनुसार जन सुविधाएं, (वर्षा जल निकासी, मल निकासी, सड़कों, पेयजल आपूर्ति तथा पथ प्रकाश इत्यादि) आवेदनकर्ताओं द्वारा विकसित किया जायेगा। 5-संदर्भित आवासीय कॉलोनी का निर्माण अनुज्ञाप्राप्त तकनीकी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के लिये आवेदक पूर्णसंपूर्ण उत्तरदायी होगा। 6-आवासीय कॉलोनी के बवन के अन्दर किसी भी प्रकार का शुष्क शोधालय नहीं निर्मित किया जायेगा तथा मल को सीधे नाली में प्रवाहित करना दण्डनीय अपराध होगा। 7-उक्त कॉलोनी को विकसित करने से पूर्व अन्य सम्बंधित सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व पूर्ण रूप से आवेदक का होगा।

आधिकारी (सीना राधव)
नगर पंचायत दनकौर
गौतमबुद्धनगर

MORE STATISTICS



सुरक्षालीरी ESTATE



Developed and Promoted by:



CONTOUR BUILDCON PVT. LTD.
B-84, Sector-2, Noida, Disst. G.B. Nagar, (U.P)